

(4)

9. Discuss the role of law enforcing agencies in the prevention of cyber crime under I.T. Act. 2000. 15

सूचना प्रौद्योगिकी अधि. 2000 के अन्तर्गत साइबर अपराध के रोक-थाम में विधि को लागू करने वाले अभिकरण की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

A

(Printed Pages 4)

Roll No. _____

LH-10/2884

LL.B. (Hons.) (Semester-X)

Examination, 2015

(New Course)

CYBER LAW-II

Optional Paper-VII (a)

Time Allowed : Three Hours] [Maximum Marks : 100

Note : Answer **five** questions in all. Question **No.1** is **compulsory**. Attempt **one** question from each Unit.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए।

1. Write short notes on the following: $4 \times 10 = 40$
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
- (i) Crime on Computer
कम्प्यूटर पर अपराध
 - (ii) Sec 66-A of the I.T. Act, 2000
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-क
 - (iii) Digital Evidence
डिजिटल साक्ष्य
 - (iv) Cyber obscenity
साइबर अश्लीलता

(2)

- (v) Cyber terrorism
साइबर आतंकवाद
- (vi) Hosh function
हैश फन्क्शन
- (vii) Unauthorised access
अनाधिकृत अभिगमन
- (viii) Web browser
वेब ब्राउजर
- (ix) Computer programe
कम्प्यूटर प्रोग्राम
- (x) Actus Reus
एक्टस रियस

Unit-I / इकाई-I

2. "Merely guilty intention is not enough to fix criminal liability but some act or omission on the part of the doer is necessary to complete the offence on computer." In the light of above statement define the term crime. 15
"कम्प्यूटर पर अपराध कारित करने के लिए केवल मनोदशा ही पर्याप्त नहीं है कुछ कार्य एवं लोप भी आवश्यक है"।
उपरोक्त कथन के आलोक में अपराध को परिभाषित कीजिए।

LH-10/2884

(3)

3. "The internet has changed the subject matter of Crime". Comment. 15
"इंटरनेट ने अपराध के विषय वस्तु को बदल दिया है"।
टिप्पणी कीजिए।

Unit-II / इकाई-II

4. Define 'Hacking'. Hackers are heroes of computer revolution. Comment your views. 15
हैकिंग को परिभाषित कीजिए, हैकर कम्प्यूटर क्रान्ति के नायक होते हैं। अपने विचार दीजिए।
5. Describe computer related offences. 15
कम्प्यूटर से सम्बन्धित अपराध का वर्णन कीजिए।

Unit-III / इकाई-III

6. Technology and its proliferation expanded the ambit of the crime of obscenity. Comment. 15
तकनीकी एवं इसके विस्तार ने अश्लीलता के दायरे को बढ़ावा दिया है। टिप्पणी कीजिए।
7. Discuss the legal approach to cyber pornography in India. 15
भारत में साइबर पॉरनोग्राफि के विधिक समाधान पर व्याख्या कीजिए।

Unit-IV / इकाई-IV

8. Discuss the general provisions of penalties and offences under I.T. Act, 2000. 15
सूचना प्रौद्योगिकी अधि. 2000 के अन्तर्गत शास्त्रियों एवं अपराधों के सामान्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

LH-10/2884

P.T.O.